

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266257
SG-DL-E-19092025-266257असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 221
No. 274]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947	[N. C. T. D. No. 221

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 16 सितम्बर, 2025

फा0सं011/39/गृह-डीओपी/2025/713-726.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी एतद् एतद् द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 01.07.2025 के अपने पत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा यथाप्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर धारा 8सी/20/21/22/25/27ए/29 एनडीपीएस अधिनियम तथा 238(बी) बीएनएस, पुलिस थाना विशेष सेल, नई दिल्ली के अन्तर्गत मामले एफआईआर सं0 455/2024 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ माननीय परीक्षण न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं:-

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
प्रति सुनवाई उपस्थिति शुल्क	40,000/- रुपये
सम्मेलन/परामर्श शुल्क	20,000/- रुपये
याचिका, आपराधिक पुनरीक्षण आदि का प्रारूपण	1,00,000/- रुपये
प्रति आवेदन प्रारूपण शुल्क	25,000/- रुपये
आवेदन के लिए उत्तर	25,000/- रुपये
लिपिकीय	संपूर्ण बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार शर्मा, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16 September, 2025

F.No.F. 11/39/H-DOP/2025/713-726.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court as well before the Hon'ble High Court of Delhi in the matter of case FIR No.455/2024, U/s 8C/20/21/22/25/27A/29 NDPS Act & 238 (B) BNS, P.S. Special Cell, New Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 01.07.2025:-

Detail of work	Proposed Fee
Appearance fee per hearing	Rs. 40,000/-
Conference/consultation fee	Rs. 20,000/-
Drafting Petition, criminal revision, etc.	Rs. 1,00,000/-
Drafting fee per application	Rs.25,000/-
Reply to application	Rs.25,000/-
Clerkage	10% of the total billing amount

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order And In The Name Of The Lt. Governor

Of The National Capital Territory Of Delhi,

SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy. (Home-DOP)